BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 724/2023

IN THE MATTER OF:

BITTU **…APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **…RESPONDENTS**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	DISTRICT TASK FORCE REPORT IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 09.04.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 29.04.2026

Place: Noida

कार्यालय जिलाधिकारी गाज़ियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या: 1214 /ख०लि०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक:08 .04.2026

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय: : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. सं० 724/2023 बिट्टू बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में निर्गत आदेश दिनांक 19.03.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे :-

"11. Accordingly, the District Task Force is directed to visit the site and verify the factual position and submit its report with respect to the following points:-

a. whether any illegal mining has been carried out by respondent no.8 in the mining lease site.

b. whether any illegal mining has been carried out by any other person in the surrounding area or any other area in the District Ghaziabad.

c. when, how and by whom the mining pit was created in the mining lease site and what are the dimension of the mining pit regarding its width, length and depth specifically and what remedial measures are required regarding the same.."

उपरोक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मा० अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 07.04.2026 को जिला स्तरीय कार्य बल(Task Force) द्वारा स्थलीय निरिक्षण किया गया।

स्थलीय निरिक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

8/4/26

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा०)
गाज़ियाबाद।

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0/रा०)
गाज़ियाबाद।

//True Translated Copy//

Joint Inspection Report

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A No. 724/2023 Bittu Vs. State of UP & Others passed an order dated 19.03.2026, which was received via E-mail on 02.04.2026, in which following directions were issued in point No. 11: -

"*11. Accordingly, the District Task Force is directed to visit the site and verify the factual position and submit its report with respect to the following points: -*

a. whether any illegal mining has been carried out by respondent no.8 in the mining lease site.

b. whether any illegal mining has been carried out by any other person in the surrounding area or any other area in the District Ghaziabad.

c. when, how and by whom the mining pit was created in the mining lease site and what are the dimension of the mining pit regarding its width, length and depth specifically and what required regarding the same."

In compliance of above order members of District Level Task Force and Surveyor, Regional Office, Ghaziabad sand inspected the mining lease site Pachayra Khand-II, Tehsil Loni district Ghaziabad on 07.04.2026.

Requisite point wise inspection report is as under:

With respect to point no. a and c it is to be informed that:

1. In compliance of order of Hon'ble NGT, New Delhi **dated 29.01.2026** and office order **dated 09.02.2026, no mining related activity was observed** at sand mining lease site Pachayra Khand-II**. No machinery was found at the site as well**.
2. The **uneven shaped pit** created by leaseholder as a result of mining in the approved lease area, as was observed during field inspection dated 08.02.2026 carried in compliance of Hon'ble Tribunal earlier order dated 29.01.2026 was found **intact.**

Geo-coordinates of the above found pit were noted and **map** was prepared based on survey that was carried out, which is reproduced below: -

Point No.	Latitude	Longitude	Area of the mined pit (in m^2)	Average Depth of the mined pit (in meter)	Volume of mineral mined from the pit (m^3)	Remarks
1	28.797117	77.204407	3094	1.55	4797.7	Pit with area of **509 m^2** and Average depth of **2.9 meter** was filled with water due to seepage.
2	28.797398	77.20446				
3	28.797848	77.204453				
4	28.798019	77.204468				
5	28.798635	77.204636				
6	28.798641	77.204575				
7	28.797356	77.204094				
8	28.79707	77.204254				

(Site photographs taken and map prepared is attached)

3. **Corrective measures with respect to the found pit***:*

   I. The team instructed to level the pit that was found on the spot.

   II. With respect to the pit which was created due to mining activity under taken by the lease holder within its mining lease area, imposition of fine of **Rs.5,00,000/-** **(**Rupees Five Lakhs) for violation of **rule 42(h)(1) of UPMMCR-2021** has been proposed.

   III. To prevent the repetition of the above act, **regular inspection** of the lease area during the active phase of lease will be carried by the **District Level Mining Task Force and UPPCB** and mining activity only in accordance with mining plan will be ensured.

4. During prior inspection **dated 09.06.2025** of mining lease area, leaseholder mined outside the approved lease area illegally to the tune of **364 m^3** of ordinary sand and

accordingly penalty was imposed. Lease holder deposited the imposed penalty on **06.10.2025** and the same was communicated to Hon'ble NGT earlier as well.

With respect to Point No. b, it is to be informed that:

1. During the inspection, ***no illegal mining was observed*** in the area in proximity to the mining lease site of Pachayra Khand-II. Agricultural activity is being carried out at present near the mining lease site.
2. In pursuance to complaints regarding illegal mining/transportation in Yamuna River area, Task Force carried out surprise inspection on 26.02.2026 **at 7:30 AM**. During inspection *illegal mining/transportation* was observed at a distance of **02 K.M** from the mining lease area between village Nauraspur and Sangarpur at UP-Delhi border. **08 vehicles** involved in illegal mining/transportation were given in the custody of Police Station Tronica City.
3. With respect to the above incident of illegal mining, an **FIR no. 0071 dated 28.02.2026** in PS Tronica City was registered and a complaint case has been initiated before the competent court against the owner of the vehicles. As the illegal mining activity happened with in the jurisdictional area of Delhi, a letter no. **1134** dated **09.03.2026** was sent to concerned officer of Delhi.
(Copy of FIR, Complaint and letter dated 09.03.2026 are annexed)

Above inspection report is accordingly put forward for kind perusal.

Signed/-

SHO Tronica City

Surveyor, Regional Office, Ghaziabad

Transport Department, Ghaziabad

Forest Department, Ghaziabad

Mines Officer, Ghaziabad

ACP, Loni

SDM, Loni

ADM (Finance/ Revenue), Ghaziabad

संयुक्त जांच आख्या

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 724/2023 बिट्टू बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026, जो दिनांक 02.04.2026 को e-mail के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके बिन्दु सं० 11 पर निम्नवत् निर्देश दिये गये है :–

"11. Accordingly, the District Task Force is directed to visit the site and verify the factual position and submit its report with respect to the following points:-

a. whether any illegal mining has been carried out by respondent no.8 in the mining lease site.

b. whether any illegal mining has been carried out by any other person in the surrounding area or any other area in the District Ghaziabad.

c. when, how and by whom the mining pit was created in the mining lease site and what are the dimension of the mining pit regarding its width, length and depth specifically and what remedial measures are required regarding the same."

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 07.04.2026 को जनपद स्तरीय कार्यबल (टास्कफोर्स) के सदस्यों एवं सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। वांछित बिन्दुवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

बिन्दू सं० a व c के सम्बंध में अवगत कराना है कि :–

1. मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश **दिनांक 29.01.2026** व कार्यालय आदेश **दिनांक 09.02.2026** के कम में बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 में ***खनन सम्बंधित समस्त संकियायें बंद पायी गयी। मौके पर कोई मशीन भी नहीं पायी गयी।***

2. मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के पूर्व आदेश **दिनांक 29.01.2026** के कम में **दिनांक 08.02.2026** को की गयी जांच में पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2 द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र में खनन किये जाने से **निर्मित अनियमित आकार का प्रश्नगत पिट यथावत पाया गया।** मौके पर उक्त पिट का भू–निदेशांक नोट किया गया तथा

उक्त अनियमित आकार के पिट की पैमाईश की गयी तथा मैप बनाया गया, जो निम्नवत् है :–

Point No.	Latitude	Longitude	खनन किये गये प्रश्नगत पिट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	खनन किये गये प्रश्नगत पिट की औसत गहराई (मीटर में)	प्रश्नगत पिट से खनन किये गये उपखनिज की कुल मात्रा (घ0मी0 में)	अभ्युक्ति
1	28.797117	77.204407	3094	1.55	4797.7	जिसमें कुल **509 वर्गमीटर** क्षेत्र में औसत **2.9 मीटर** गहरे बने पिट में सीपेज के कारण पानी भरा हुआ है।
2	28.797398	77.20446				
3	28.797848	77.204453				
4	28.798019	77.204468				
5	28.798635	77.204636				
6	28.798641	77.204575				
7	28.797356	77.204094				
8	28.79707	77.204254				

मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स एवं तैयार किया गया मैप संलग्न है।

3. **गड्ढ़े के सम्बन्ध में सुधारात्मक उपायः–**

क. मौके पर मौजूद गड्ढे को टीम द्वारा लेवल कराने के निर्देश दिए गए ।

ख. पट्टाधारक द्वारा अपने पट्टाक्षेत्र में खनन कार्य के फलस्वरूप निर्मित उक्त गड्ढ़े के सम्बन्ध में पट्टाधारक पर UPMMCR-2021 के नियम 42 (h) (1) के उल्लंघन पर 5 लाख अर्थदंड प्रस्तावित है।

ग. भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो इसके सम्बन्ध में जिलास्तरीय खनन टास्क फ़ोर्स एवं UPPCB द्वारा संचालन अवधि में पट्टाक्षेत्र का संयुक्त रूप से नियमित निरिक्षण किया जाएगा एवं खनन योजना के अनुसार ही कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

4. पूर्व में **दिनांक 09.06.2025** को बालू खनन पट्टा क्षेत्र की जांच के दौरान पट्टाधारक द्वारा सीमांकित क्षेत्र से बाहर जाकर किये गये **364 घ0मी0** साधारण बालू के अवैध खनन के सम्बंध में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। पट्टाधारक द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड दिनांक **06.10.2025** को जमा कराया गया है। इस सम्बंध में मा0 एन0जी0टी0 को पूर्व में अवगत भी कराया गया है।

1369 3

बिन्दू सं0 b के सम्बंध में अवगत कराना है कि :–

1. निरीक्षण के दौरान बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 के आस–पास कोई अवैध खनन नहीं पाया गया। वर्तमान में पट्टा क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्रों में खेती का कार्य किया जा रहा है।

2. यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों के कम में टास्क फोर्स द्वारा **दिनांक 26.02.2026 को प्रातः 07:30 बजे** क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में **पट्टा क्षेत्र से लगभग 02 किमी0 दूरी** पर **ग्राम नौरसपुर व ग्राम सुंगरपुर** के मध्य दौरान **यमुना नदी के समीप दिल्ली–उ0प्र0 सीमा क्षेत्र** में अवैध खनन/परिवहन होता पाया गया, जिसमें संलिप्त **08 वाहनों को थाना ट्रोनिका सिटी** की अभिरक्षा में दिया गया।

3. उक्त अवैध खनन के सम्बंध में थाना ट्रोनिका सिटी में **एफ0आई0आर0 सं0 0071 दिनांक 28.02.2026** दर्ज कराई गयी है, साथ ही निरूद्ध वाहनों तथा वाहन स्वामियों के विरूद्ध मा0 सक्षम न्यायालय में परिवाद भी दाखिल किया गया है। उक्त खनन दिल्ली की सीमा क्षेत्र में किये जाने के कारण इस कार्यालय के पत्र सं. 1134 दिनांक 09.03.2026 द्वारा दिल्ली प्रदेश के सक्षम अधिकारी पत्र प्रेषित किया गया है। ***FIR, परिवाद व पत्र दिनांक 09.03.2026 की छायाप्रति संलग्न है।***

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

7/04/2026
थानाध्यक्ष
थाना ट्रोनिका सिटी

07/04/2026
सर्वेक्षक
क्षेत्रीय कार्यालय
गाजियाबाद

परिवहन विभाग
गाजियाबाद

वन विभाग
गाजियाबाद

07/04/26
खान अधिकारी
गाजियाबाद

07/04/26
सहायक पुलिस आयुक्त
लोनी

7/4/26
उपजिलाधिकारी
लोनी

7/4/26
अपरजिलाधिकारी
(वि0/रा0)
गाजियाबाद

प्रश्नगत क्षेत्र (पिट) का आकार

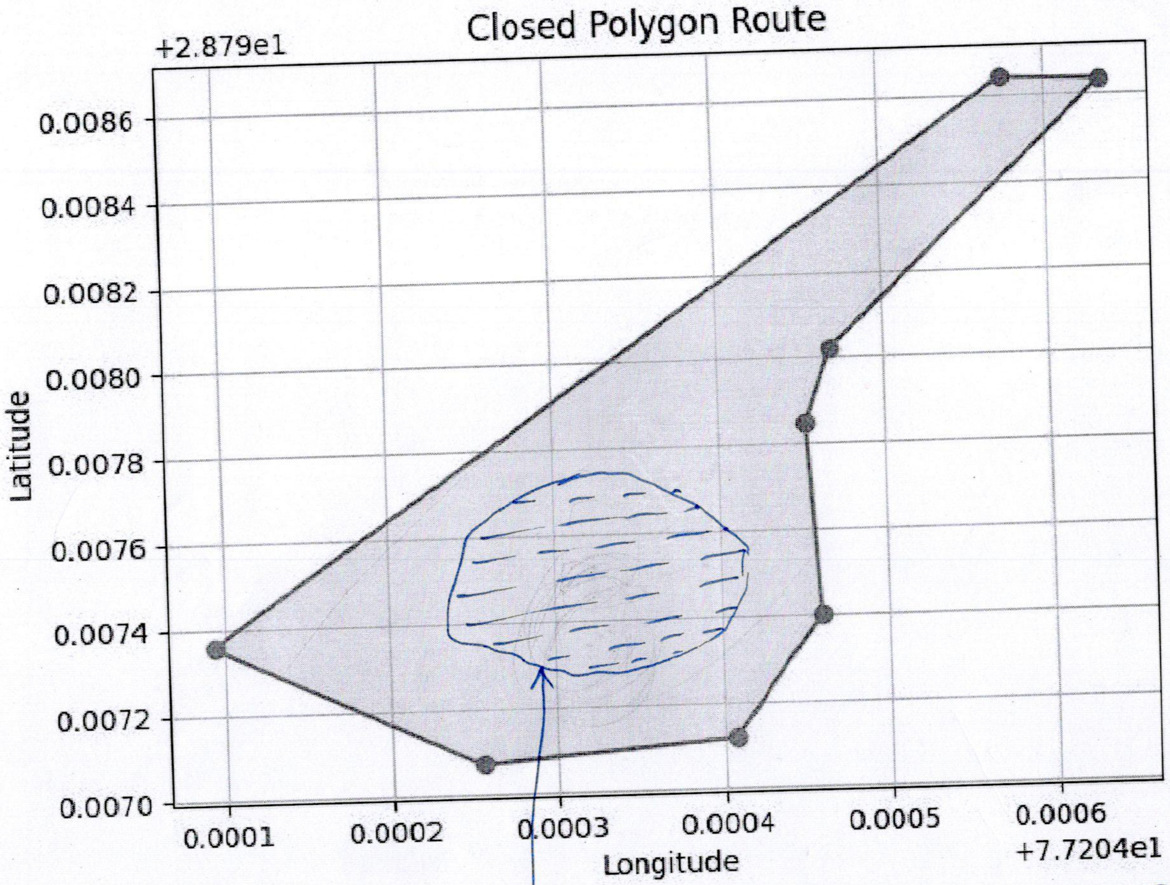

प्रश्नगत पिट का कुल क्षेत्रफल – 3094 वर्ग मी०
प्रश्नगत पिट की औसत गहराई – 1.55 मी०

सीपेज के कारण भरा हुआ पानी का क्षेत्रफल – 509 वर्ग मी०
औसत गहराई – 2.9 मी०

07/04/2026
(योगेश शुक्ला)
सर्वेक्षक क्षे० का० गाजियाबाद

पानी भरे पिट का आकार

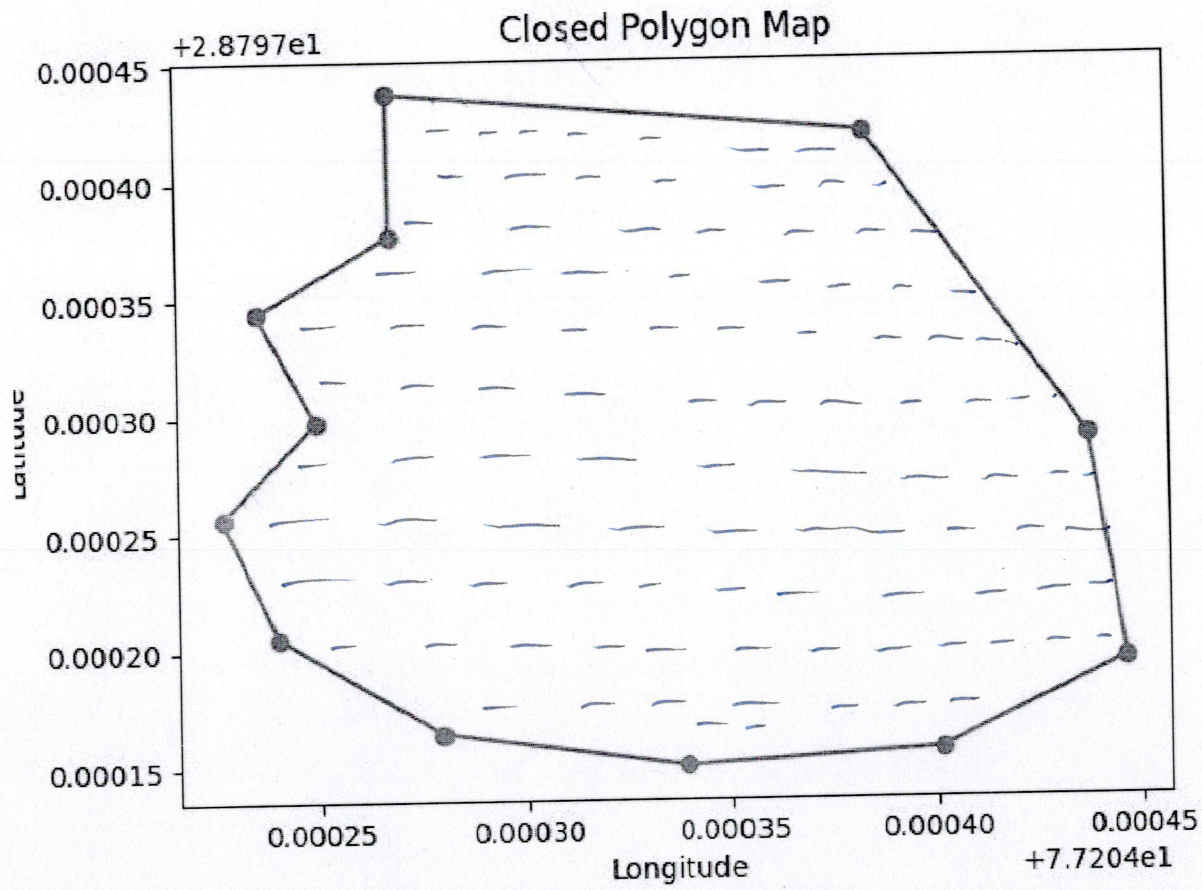

पिट के क्षेत्र का क्षेत्रफल
— 509 वर्ग मीटर
पिट की औसत गहराई
— 2.9 मीटर

07/04/2026
(योगेश शुक्ला)
सर्वेक्षक
क्षे० का० गाजियाबाद

SITE PHOTGRAPHS DURING TASK FORCE VISIT DATED 07.04.2026

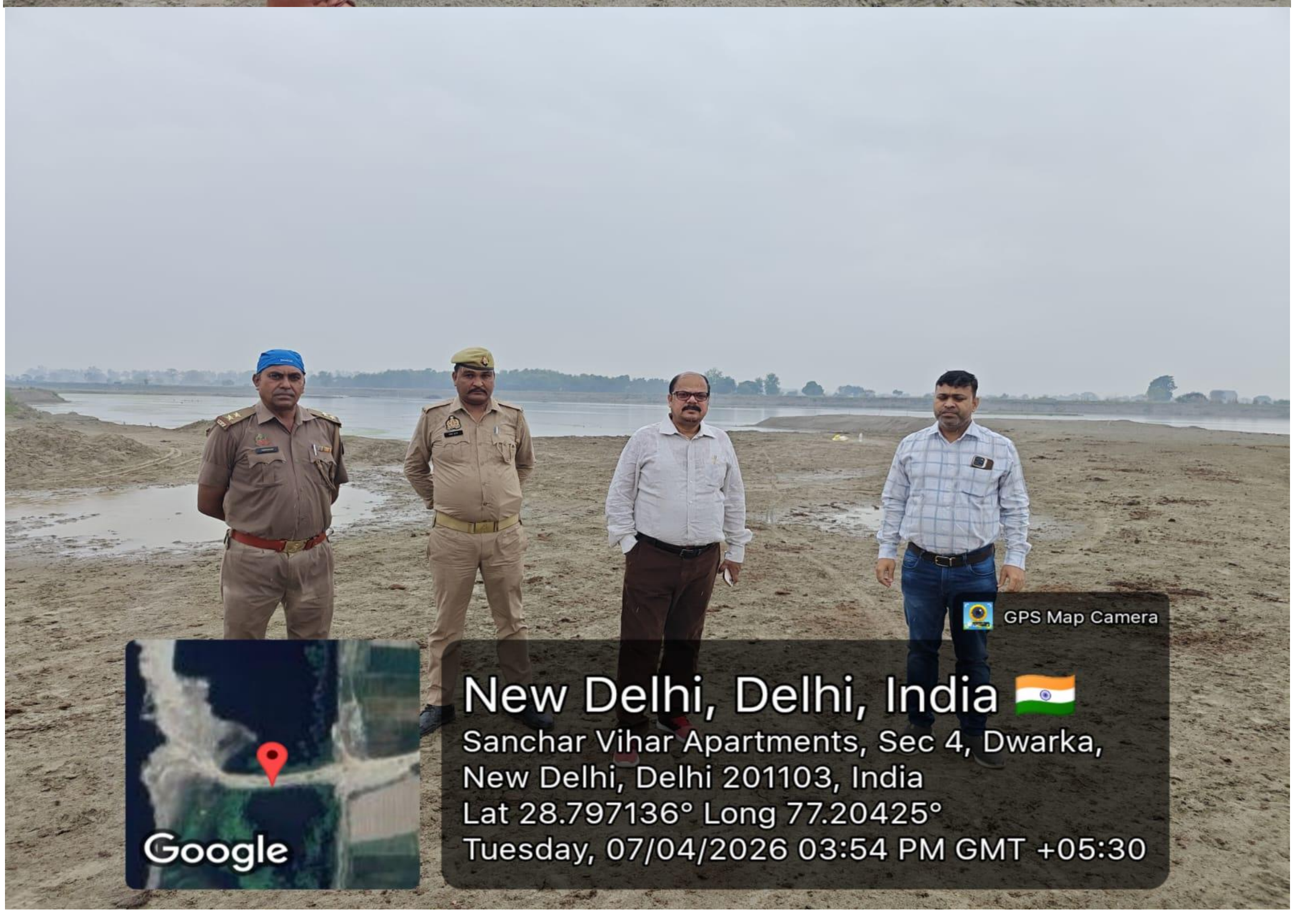

SITE PHOTGRAPHS DURING TASK FORCE VISIT DATED 07.04.2026

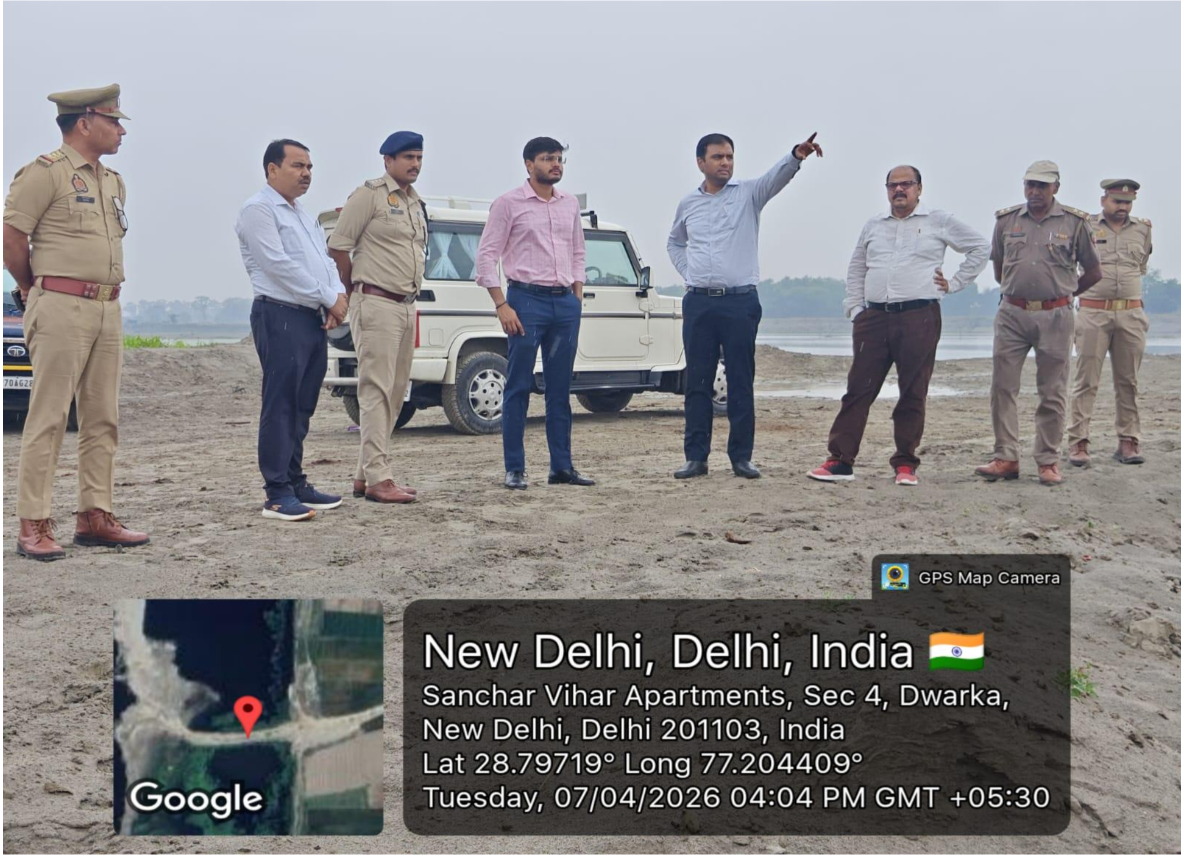

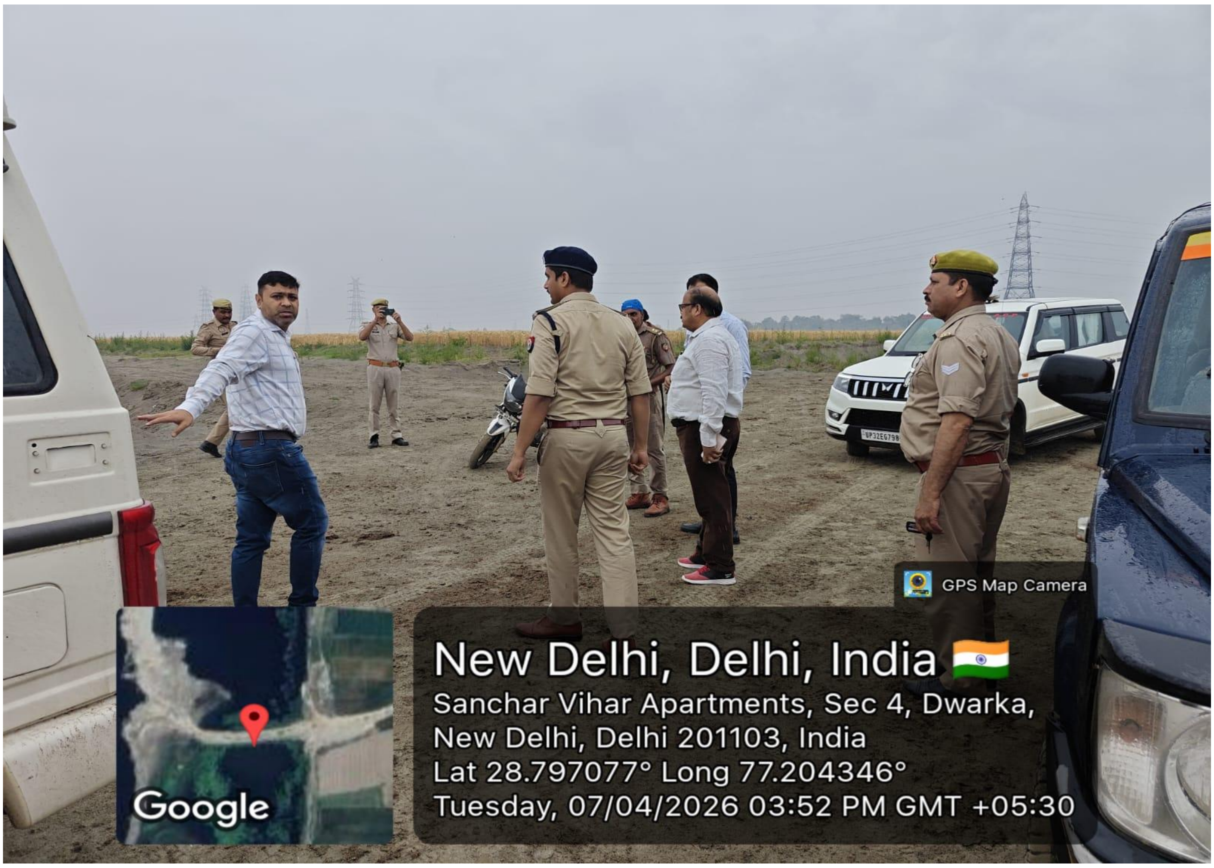

SITE PHOTGRAPHS DURING TASK FORCE VISIT DATED 07.04.2026

BEFORE (07.04.2026)

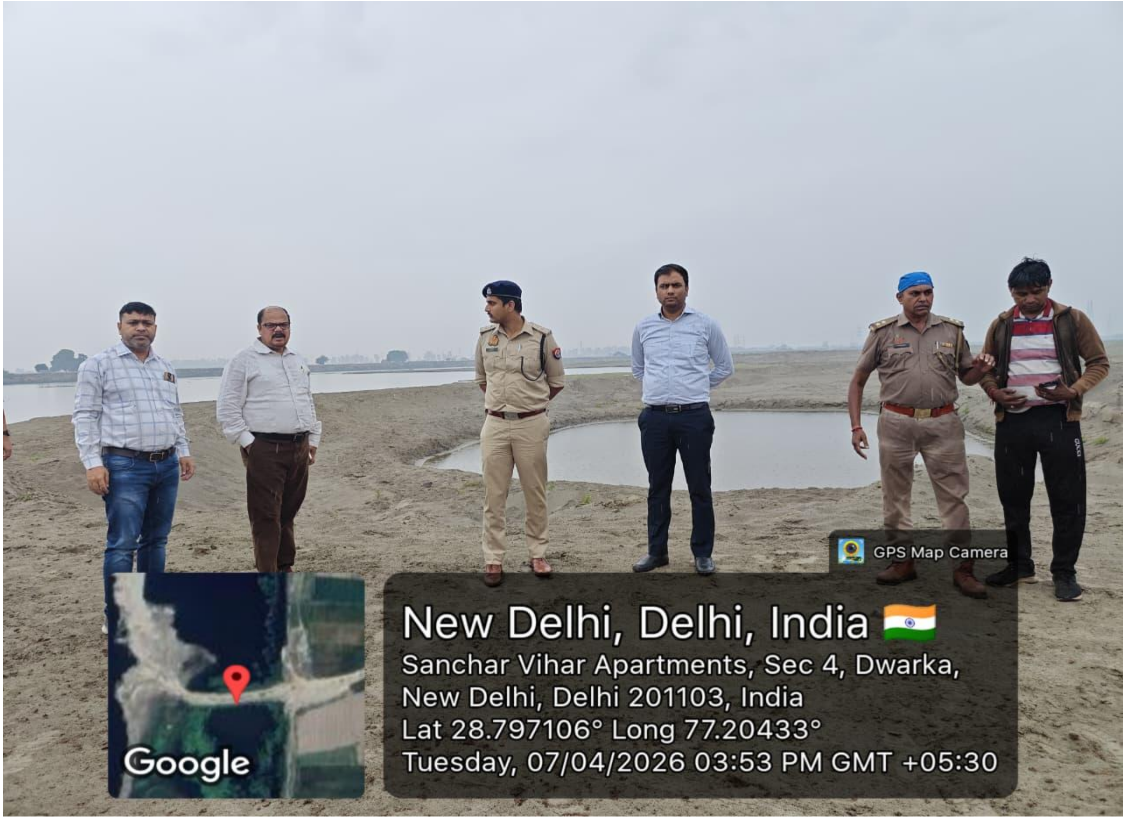

AFTER (08.04.2026)

Closure order in compliance with Hon,ble Tribunal directions

कार्यालय जिलाधिकारी गाज़ियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्र संख्या: 1060 /ख०अनु०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक:09 .02.2026

आदेश

न्यू पैंथर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड-2)
प्रो० श्री बनी सिंह निवासी- सालासर काम्प्लेक्स,
306, शंकर विहार कॉलोनी कुरैशी, अलीगढ |

विषय:- मा० न्यायालय एन०जी०टी० में योजित O.A No. 724/2023 Bittu Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन के सम्बंध में |

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके पक्ष में जनपद गाज़ियाबाद के तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड-2 गाटा सं० 290मि०, 297मि०, 298मि०, 301मि०, 302मि०, 303मि०, 304मि०, 303, 311मि०, 312 मि०, 313मि०, 314मि०, रकबा 8.512 हे० में दिनांक 12.11.2021 से 11.11.2026 तक 05 वर्ष की अवधि के लिये बालू खनन पट्टा स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया था |

आपके पक्ष में स्वीकृत उक्त खनन पट्टे के सम्बंध में मा० न्यायालय एन०जी०टी० में योजित O.A No. 724/2023 Bittu Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 (छायाप्रति संलग्न), जो की दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त हुआ है, के बिंदु सं० 39 में निम्नवत आदेश पारित किया गया है :

"39. In view of the facts and circumstances of the case and 'Precautionary' Principle embodied in Section 20 of National Green Tribunal Act, 2010, respondent no. 8 is restrained from carrying out any further mining in the mining lease site till further orders to the contrary by this Tribunal and the Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh, the District Mining Officer, Ghaziabad, the District Magistrate, Ghaziabad and the Commissioner of Police, Ghaziabad are directed to ensure that no mining take place in the mining lease site and surrounding areas in Ghaziabad ."

उपरोक्तानुसार मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2026 द्वारा आपके पक्ष में स्वीकृत एवं निष्पादित बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड-2, तहसील लोनी में बालू खनन कार्य को प्रतिबंधित कर दिया गया है |

अतः मा० न्यायालय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के क्रम में आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज साधारण बालू के खनन पट्टा क्षेत्र तहसील लोनी अन्तर्गत ग्राम पचायरा खण्ड-2 गाटा सं० 290मि०, 297मि०, 298मि०, 301मि०, 302मि०, 303मि०, 304मि०, 303, 311मि०, 312 मि०, 313मि०, 314मि०, रकबा 8.512 हे० में खनन कार्य को अग्रिम आदेशो तक के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन कार्य न किया जाये। यदि आपके खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी खनन संक्रिया होती पायी जाती है तो उसे मा० न्यायालय के आदेशो की अवमानना मानते हुये आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

संलग्नक: यथोक।

अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)
गाज़ियाबाद।

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद।
4. पुलिस आयुक्त, गाज़ियाबाद।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. रजिस्ट्रार, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
7. पुलिस उप-आयुक्त (ग्रामीण), गाज़ियाबाद।
8. उपजिलाधिकारी, लोनी।
9. सहायक पुलिस आयुक्त, लोनी।
10. खान अधिकारी, गाज़ियाबाद।
11. थानाध्यक्ष, लोनी/ट्रोनिका सिटी।

9/2/26

अपरजिलाधिकारी(वि०/रा०)
गाज़ियाबाद।

Inspection Report dated 08.02.2026

जांच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 724/2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026, जो दिनांक 06.02.2026 को मा0 एन0जी0टी0 की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है, के अनुपालन में दिनांक 08.02.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। मौके पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 01 पिट देखा गया, जिसमें पानी था। देखे गये पिट तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त योजित ओ0ए0 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दिनांक 02.01.2026 की विडियो में रात्रि 10.09 बजे पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन होना दिखाया गया है, में समानता प्रतीत होती है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा पानी आ जाने के उपरान्त भी पिट से खनन कार्य किया जाना परिलक्षित होता है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) का उल्लंघन है।

अतः बालू खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम पचायरा खण्ड–2 तहसील लोनी के खनन पट्टाधारक मै0 न्य पेन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्रो0 श्री बनी सिंह पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के कारण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

जांच के दौरान मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

08/02/26

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

Physical Inspection of Pachayera -02 on 08.02.2026

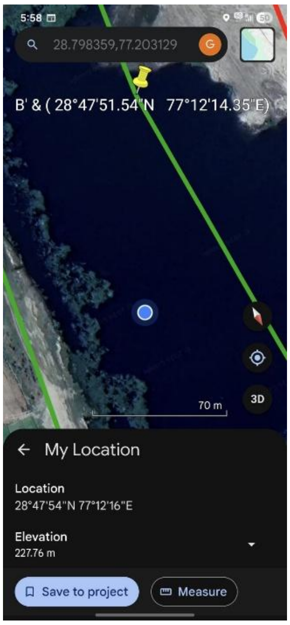

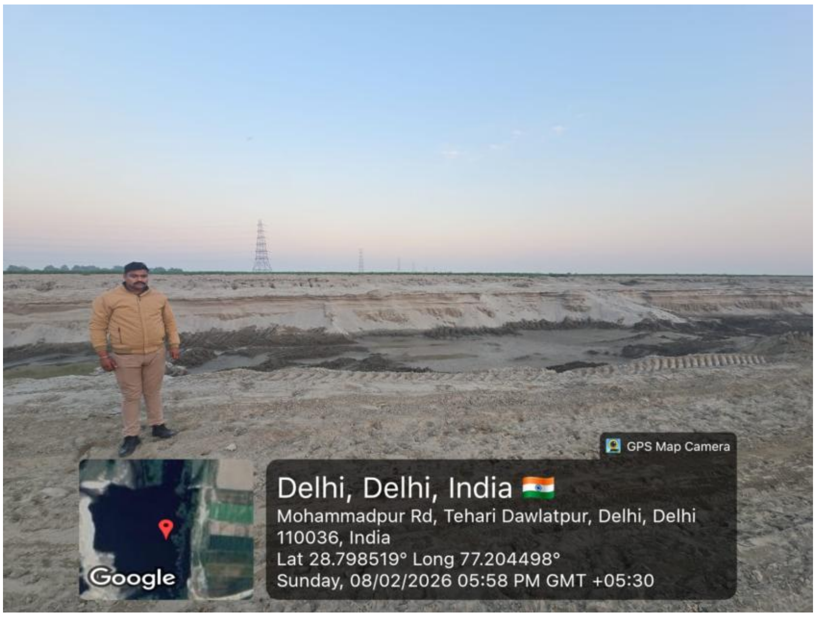

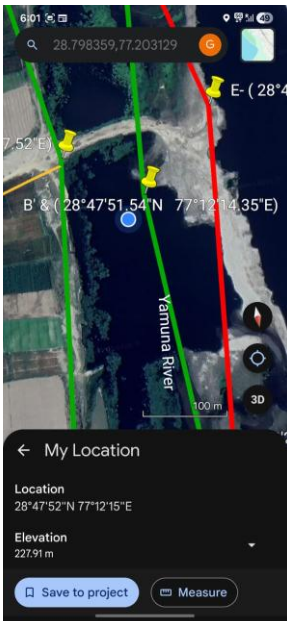

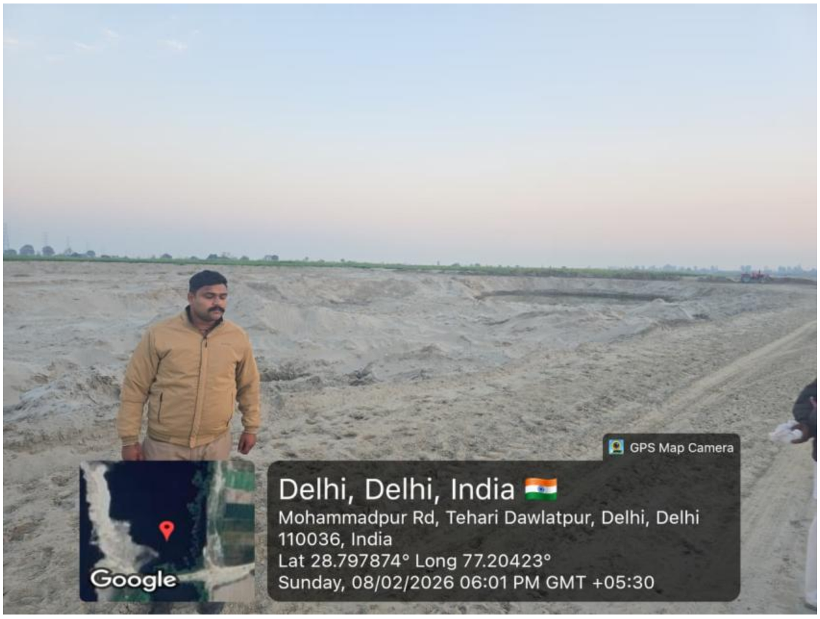

1379 [13]

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्याः 1127 / ख0अनु–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 06/03/2026

कारण बताओ नोटिस

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः– बालू खनन पट्टा क्षेत्र पचायरा खण्ड–2 में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 724 / 2023 बिट्टू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन में खान अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 08.02.2026 को आपके पक्ष में स्वीकृत बालू खनन पट्टा ग्राम पचायरा खण्ड–2 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। खान अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या दिनांक 08.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि – *"निरीक्षण के दौरान खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया। मौके पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में 01 पिट देखा गया, जिसमें पानी था। देखे गये पिट तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त योजित ओ0ए0 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी दिनांक 02.01.2026 की विडियों में रात्रि 10.09 बजे पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन होना दिखाया गया है, में समानता प्रतीत होती है। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा पानी आ जाने के उपरान्त भी पिट से खनन कार्य किया जाना परिलक्षित होता है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(ज) का उल्लंघन है।"*

उपरोक्त आख्यानुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा पानी आ जाने के बाद भी पिट से खनन किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42(ज) का उल्लंघन किया गया है, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम– 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू0 5,00,000/– का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाये के सम्बंध में अपना उत्तर/स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0)
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

संख्याः 1143 / ख0अनु–गाजि0 / 2025–26 दिनांकः 16/03/ 2026

कारण बताओ नोटिस

न्यू पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस
(पट्टाधारक ग्राम पचायरा खण्ड–2)
प्रो0 श्री बनी सिंह निवासी– सालासर काम्पलैक्स,
306, शंकर विहार कालोनी कुरैशी, अलीगढ़।

विषयः– बालू खनन पट्टा क्षेत्र पचायरा खण्ड–2 में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के नोटिस पत्र सं0 1127 / ख0अनु0–गाजि0 / 2025–26 दिनांक 06.03.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम– 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू0 5,00,000 / – का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाये के सम्बंध में अपना उत्तर / स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप द्वारा तद्दिनांक तक भी अपना उत्तर / स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम– 60(2) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नियम 42(ज) का उल्लंघन किये जाने के कारण आप पर रू0 5,00,000 / – का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित किया जाये के सम्बंध में अपना उत्तर / स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

16/03/26
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपरजिलाधिकारी (वि0 / रा0), गाजियाबाद महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खान अधिकारी
गाजियाबाद।

1381 15

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Uttar PradeshTreasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: **AKV250024643**	Challan Date:**06/10/2025**
Assessment Year:**2025-2026**	Tax Period: **ONETIME**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	**Bani Singh**
Depositor Address:	

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	666960.00
	Totals of the above heads	--	666960.00

A SUM OF Rs. 666960.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->Illegal mining 364 and pillar penalty)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAFSLHLN6, Scroll Date:-06/10/2025

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाज़ियाबाद |

सेवा में,

संभागीय आयुक्त(राजस्व),
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार |

पत्र संख्या: 1134 /ख०अनु०-गाज़ि०/2025-26 दिनांक: 09.03.2026

विषय: दिल्ली व उ०प्र० राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध बालू खनन/परिवहन पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में |

महोदय,

अवगत कराना है कि दिल्ली व उ०प्र० राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों से निरंतर प्राप्त हो रही अवैध बालू खनन की शिकायतों पर कार्यवाही हेतु दिल्ली व उ०प्र० राज्य के मध्य संयुक्त रूप से गठित Joint Inter State Task Force (JITF) की बैठक दिनांक 16.01.2026 में लिये गये निर्णय तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशो के अनुपालन में जनपद गाज़ियाबाद में जिला प्रशासन व खनन विभाग द्वारा दिल्ली व उ०प्र० राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रो में निरंतर अवैध बालू खनन/परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है |

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 26.02.2026 को प्रातः 07:30 बजे दिल्ली व उ०प्र० राज्य की सीमा पर हो रहे अवैध बालू खनन/परिवहन पर कार्यवाही करते हुये जनपद गाज़ियाबाद में अवैध बालू परिवहन में लिप्त कुल 08 वाहनों को पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया है |

उक्त निरुद्ध वाहनों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त अवैध खनन दिल्ली प्रदेश की सीमा में कर उ०प्र० राज्य की ओर से अवैध परिवहन किया जा रहा था , दिल्ली प्रदेश की सीमा के अंतर्गत हो रहे अवैध खनन के क्षेत्रो का व खनन की गयी मात्रा का विवरण निम्नवत है :

क्रम सं०	खनन क्षेत्र (Lattitude एवं Longitude)	खनन की गयी मात्रा
1.	Lat-28.815918, Long-77.217297	9,000 घन मी०
2.	Lat-28.813125, Long-77.214093	9,000 घन मी०
3.	Lat-28.812724, Long-77.215547	600 घन मी०
4.	Lat-28.815742, Long77.217593	900 घन मी०
	कुल:	19,500 घन मी०

यहाँ अवगत कराना है कि उपरोक्त क्षेत्र जहाँ से बालू के अवैध खनन की गतिविधि संचालित की जा रही थी, को तहसीलदार, नरैला की उपस्थित में चिन्हांकित करा दिया गया था |

इसके अतरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त निरुद्ध वाहनों पर मा० अधिकरण द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये थाना ट्रोनिका सिटी में FIR no. 0071 दिनांक 28.02.2026 दर्ज करा दी गयी है |

अतः यह पत्र महोदय को इस अपेक्षा से प्रेषित है कि उपरोक्त चिन्हांकित क्षेत्र में अवैध खनन के कारण हुये पर्यावरणीय व राजस्व क्षति के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे |

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार |

(रविन्द्र कुमार माँदड)
जिलाधिकारी
गाज़ियाबाद |

पत्र सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार |

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित |
2. निदेशक महोदया, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित |
3. जिलाधिकारी, नार्थ-दिल्ली को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |
4. जिलाधिकारी, नार्थ-ईस्ट,दिल्ली को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |

जिलाधिकारी
गाज़ियाबाद |

Site Photographs during raid against illegal mining

FIR against illegal miners

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद) **P.S. (थाना):** ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0071 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/02/2026 23:47 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** गुरूवार **Date from (दिनांक से):** 26/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 26/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/02/2026 **Time (समय):** 14:45 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 036

Date and Time (दिनांक और समय): 28/02/2026 14:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पश्चिम, 05 कि. मी.

   Beat No. (बीट सं.):

   (b) Address (पता): ग्राम पचायरा,

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** विपिन तोमर

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1991

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	लेखपाल ग्राम पचायरा , ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	लेखपाल ग्राम पचायरा , ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-97115XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ट्रैक्टर नं0 RSK66BA0200 का चालक नाम-पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात
2	ट्रैक्टर न0 HR10AC1627 का चालक नाम-पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात
3	ट्रैक्टर न0- HR79C3251 का चालक नाम-पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात
4	ट्रैक्टर बिना नम्बर का चालक नाम-पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल प्रा0पत्र हिन्दी वादी..सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी ट्रोनिका सिटी लोनी गा0बाद महोदंय, दिनांक 26/02/026 को ग्राम- पचायरा, परगना व तहसील- लोनी जिला- गा0बाद में संगठित होकर अवैध बालू खनन करते हुए चार ट्रैक्टर-ट्रौलियाँ जब्त की गई तथा 04 खाली ट्रांली जब्त की गई। जिनमे से ट्रैक्टर नं0-1 RSK66BA0200 जिसमें लगभग- 10m ट्रैक्टर न0-2 HR10AC1627 जिसमे लगभग- 14m, ट्रैक्टर न0-3 HR79C3251 जिसमें लगभग -14m, ट्रैक्टर नं0-4 MBNAAANYEKJ800543 जिसमें लगभग -12m अवैध बालू खनन पाया गया है। जिसमें से सभी ट्रैक्टर ड्राईवर प्रशासन की गडी को आता देख ट्रैक्टर-ट्राली को छोडकर भाग गये । मौके पर जाँच करने तथा राजस्व अभिलेखो का अवलोकन करने के बाद पाया गया कि जहां से अवैध बालू खनन हो रहा था वह क्षेत्र दिल्ली-प्रांत की सीमा के अन्तर्गत आता है । जिसमें से मौके पर उपस्थित खसरे में जिसका Lat-28.815918, Long-77.217297 मे से लगभग 9000 घन मी0, दूसरे खसेर मे जिसका Lat-28.813125, Long-77.214093 मे से लगभग 9000 घन मी0, तीसरे खसरे मे जिसका Lat-28.812724, Long-77.215547 मे से लगभग 600 घन मी0 तथा चौथे खसरे मे जिसका Lat-28.815742, Long-77.217593 मे से लगभग 900 घन मी0 यानि कुल 4 खसरो मे से लगभग 19500 घन मी0 अवैध बालू खनन हो रहा था । उपरोक्त सूचना मौके पर उपस्थित दिल्ली प्रांत क्षेत्र की तरफ से तहसीलदार-दीपक कुमार (नरैला) जी को भी दे दी गई हैं। उपरोक्तानुसार उचित कार्यवाही हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित हैं। SD अंग्रेजी अपठित 28/02/026 विपिन तोमर (लेखपाल) क्षेत्र पचायरा मो0न0-97115XXXXX पता- ग्राम-पचायरा, परगना व तहसील- लोनी जिला-गा0बाद... नोट मैं कां0 2090 नितिन कुमार प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर एनसीआर उपरोक्त की कायमी व चिक मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर है0कां0 2504 विकास कुमार द्वारा टंकित कराया गया । अलावा तकनीकि त्रुटि के ...

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ravi Yadav **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Name (नाम): THANA INCHARGE TRONICA CITY

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 9454405104

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	अज्ञात			-		चेचक: नहीं
2	अज्ञात			-		चेचक: नहीं
3	अज्ञात			-		चेचक: नहीं
4	अज्ञात			-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्र सं0: मेमो/अवैध-परिवहन/2022-23 दिनांक : 26/02/26

सेवा में,

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/प्रभारी पुलिस चौकी,

Tronica City

जनपद - गाजियाबाद।

महोदय,

आज दिनांक 26/02/26 समय 7:30Am स्थान Sungarpur (UP-Delhi border) में ~~अधोहस्ताक्षरी~~ SDM-Loni द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उपखनिजों का परिवहन करने वाले निम्नलिखित वाहन/वाहनों की जांच की गयी। जांच मे वाहन/वाहनों में निम्न विवरण के अनुसार कमियाँ पायी गयी :-

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार / संख्या	उपखनिज का नाम	वाहन में लदे खनिज की मात्रा	अभिवहन पास में अंकित मात्रा	पायी गई अनियमित्ता	वाहन स्वामी/चालक का नाम व पता	वाहन चालक का हस्ताक्षर
1	Tractor Trolley (RSK6C BA 0200)	Ordinary Sand	$10 m^3$	–	Illegal Mining & Transportation in Yamuna River Bed @Delhi-UP Border.		
2	Tractor Trolley (HR10 AC1627)	Ordinary Sand	$14 m^3$	–			
3	Tractor Trolley (HR79 C 3251)	Ordinary Sand	$14 m^3$	–			
4	Tractor Trolley (MBNAAANXE KJB00543)	Ordinary Sand	$12 m^3$	–			
5	04 Trolley [खाली]	Ordinary Sand	–	–			

Total - 08

उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-3 तथा नियम-72 का उल्लंघन है, जो खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अर्न्तगत दण्डनीय उपराध है।

अत: आपसे अनुरोध है कि सक्षम न्यायालय/ जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के अग्रिम आदेशों तक उक्त वाहन / वाहनों को अपनी अभिरक्षा में रखने का कष्ट करें।

26/02/26
Leelu Singh
(INT - Loni)

8887534809
26/02/26
खान अधिकारी
गाजियाबाद
(Saurabh Chaturved)

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्रांक : 1144 /खनिज–2026 दिनांकः 16/03/ 2026

समक्ष माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खनन अधिकारी, क्वैरी कार्यालय गाजियाबाद।

....परिवादी

बनाम

1. ट्रैक्टर मय ट्रॉली सं0 **HR-13 W-8762** इंजन नं0 **RSK6CBA0200** वाहन स्वामी श्री विपिन पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह निवासी– ग्राम नयागांव, तहसील–बहादुरगढ़, जिला झज्जर।
2. ट्रैक्टर मय ट्रॉली संख्या **HR-10 AC- 1627** वाहन स्वामी श्री संजय पुत्र श्री प्रकाश निवासी– ग्राम व पोस्ट जगदीशपुर, सोनीपत।
3. ट्रैक्टर मय ट्रॉली संख्या **HR-79 C-3251** वाहन स्वामी श्री जरशेद खान पुत्र खुरशेद निवासी– म0नं0–150, बदरपुर, लोनी, गाजियाबाद।
4. ट्रैक्टर मय ट्रॉली सं0 **UP-14 EF-2076** चेचिस नं0 **MBNAAANXEKJB00543** वाहन स्वामी श्री अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम पचायरा, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद।
5. 04 ट्रॉली बिना ट्रैक्टर स्वामी अज्ञात।

...अभियुक्त

वाद संख्या /2026
धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957,
धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0), 2023
जनपद– गाजियाबाद।
थाना– थाना ट्रोनिका सिटी।
घटना का दिनांक– 26.02.2026
घटना स्थल– ग्राम सुगंरपुर (उ0प्र0–दिल्ली सीमा), तहसील लोनी
साक्षी – नायब तहसीलदार, तहसील लोनी।

महोदय,

निवेदन है कि परिवाद में प्रार्थी परिवादी है और एक लोक सेवक है। राजकीय कार्यो में व्यस्त रहने के कारण हर तिथि में न्यायालय में उपस्थिति की अनिवार्यता से परिवादी को मुक्त करने की कृपा करें।

परिवादी
16/03/26
(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः संयुक्त निदेशक अभियोजन, गाजियाबाद को संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि माननीय न्यायालय में कार्यरत अभियोजन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

16/03/26
खान अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्रांक : 1145 /खनिज–2026 दिनांकः 16/03/2026

समक्ष माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला खनन अधिकारी, क्वैरी कार्यालय गाजियाबाद।

....परिवादी

बनाम

1. ट्रैक्टर मय ट्रॉली सं0 **HR-13 W-8762** इंजन नं0 **RSK6CBA0200** वाहन स्वामी श्री विपिन पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह निवासी– ग्राम नयागांव, तहसील–बहादुरगढ़, जिला झज्जर।
2. ट्रैक्टर मय ट्रॉली संख्या **HR-10 AC- 1627** वाहन स्वामी श्री संजय पुत्र श्री प्रकाश निवासी– ग्राम व पोस्ट जगदीशपुर, सोनीपत।
3. ट्रैक्टर मय ट्रॉली संख्या **HR-79 C-3251** वाहन स्वामी श्री जरशेद खान पुत्र खुरशेद निवासी– म0नं0–150, बदरपुर, लोनी, गाजियाबाद।
4. ट्रैक्टर मय ट्रॉली सं0 **UP-14 EF-2076** चेचिस नं0 **MBNAAANXEKJB00543** वाहन स्वामी श्री अभिषेक पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम पचायरा, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद।
5. 04 ट्रॉली बिना ट्रैक्टर स्वामी अज्ञात।

...अभियुक्त

वाद संख्या /2026
धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957,
धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0), 2023
जनपद– गाजियाबाद।
थाना– थाना ट्रोनिका सिटी।
घटना का दिनांक– 26.02.2026
घटना स्थल– ग्राम सुगंरपुर (उ0प्र0–दिल्ली सीमा), तहसील लोनी
साक्षी – नायब तहसीलदार, तहसील लोनी।

अभियोग प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190(1) द0प्र0सं0

महोदय,

प्रार्थी मा0 न्यायालय के समक्ष निम्न प्रकार अभियोजन प्रस्तुत करते हुए विनती हैः–

1. यह कि परिवादी वर्तमान में खान अधिकारी, क्वैरी कार्यालय गाजियाबाद के पद पर तैनात है और प्रार्थी का क्षेत्राधिकार जनपद गाजियाबाद का सम्पूर्ण जनपद है। प्रार्थी प्रकरण के तथ्यों से बखुबी वाकिफ है और उक्त अभियोग प्रस्तुत करने के लिये भूतत्व एंव खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ के द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा–22 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय मे परिवाद करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
2. यह कि शासन एवं जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स की बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0–दिल्ली सीमा क्षेत्र में अवैध बालू खनन/परिवहन के सम्बंध में **उपजिलाधिकारी, लोनी व नायब तहसीलदार लोनी द्वारा दिनांक 26.02.2026** को निरीक्षण के दौरान **ग्राम पचायरा, परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद** में

संगठित होकर अवैध बालू खनन करते हुये **04 ट्रैक्टर मय ट्रॉली एवं 04 खाली ट्रॉली** जब्त की गयी, जिनमें से ट्रैक्टर नं0– 1– **RSK6CBA0200** में लगभग– 10 घ0मी0, ट्रैक्टर नं0–2– **HR10AC1627** में लगभग 14 घ0मी0, ट्रैक्टर नं0–3– **HR79C3251** में लगभग 14 घ0मी0, ट्रैक्टर नं0–4– **MBNAAANYEKJ800543** में लगभग 12 **घ0मी0 अवैध बालू** का परिवहन पाया गया, जिसमें से सभी ट्रैक्टर ड्राईवर प्रशासन की गाड़ी को आता देख ट्रैक्टर–ट्रॉली को छोड़कर भाग गये। मौके पर जांच करने तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद पाया गया कि जहाँ से अवैध बालू खनन हो रहा था व क्षेत्र **दिल्ली प्रांत की सीमा के अन्तर्गत** आता है। मौके पर खसरे जिसका **Lat-28.815918, Long-77.217297** है, में से लगभग 9000 घ0मी0, दूसरे खसरे जिसका **Lat-28.813125, Long-77.214093** है, में से लगभग 9000 घ0मी0, तीसरे खसरे जिसका **Lat-28.812724, Long-77.215547** है, में से लगभग 600 घ0मी0 तथा चौथे खसरे जिसका **Lat-28.815742, Long-77.217593** है, में से लगभग 900 घ0मी0 यानि कुल **04 खसरों में से लगभग** 19500 घ0मी0 अवैध बालू खनन हो रहा था। उपरोक्त सूचना मौके पर उपस्थित दिल्ली प्रांत क्षेत्र की तरफ से तहसीलदार दीपक कुमार (नरैला) को भी दे दी गयी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त अवैध खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों को थाना ट्रोनिका सिटी की अभिरक्षा में दिया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवैध खनन संलिप्त वाहनों एवं वाहन स्वामियों व चालकों के विरूद्ध क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पचायरा, तहसील लोनी द्वारा **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21** एवं **भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0), 2023 की धारा 303(2)** के अन्तर्गत थाना ट्रोनिका सिटी में **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0071 दिनांक 28.02.2026** दर्ज करायी गयी है।

3. यह कि उपरोक्त तथ्य अभियुक्त द्वारा किये गये उपरलिखित अपराध को प्रमाणित करता है।
4. यह कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1) एवं (1ए) में उल्लिखित निम्न प्राविधान है :

   4(1) – "No person shall undertake any reconnaissance, prospecting or mining operatiions in any area, except under and in accordance with the terms and conditions of a reconnaissance permit or of a prospecting licence or, as the case may be, of a mining lease, granted under this Act and the rules made thereunder"

   4(1A) – "No person shall transport or store or cause to be transported or stored any mineral otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder".
5. यह कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत है : **" Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (1A) of section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to five lakh rupees per hectare of the area."**

अतः मा0 न्यायालय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुये प्रश्नगत प्रकरण परिवाद का विचारण करने का कष्ट करें।

परिवादी

16/03/26

(सौरभ चतुर्वेदी)
खान अधिकारी
गाजियाबाद।